राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार, 2018

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली लोक अदालत केम्प कोर्ट–बाली

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 44 / 2016
दायरा तिथि : 24.05.2016
निर्णय तिथि : 27.06.2018

वादी :–
जीवनसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत,
निवासी बाली तहसील बाली

ब ना म

प्रतिवादीगण :–
1. लालसिंह पुत्र केसरसिंह
2. दुर्गाकंवर पुत्री केसरसिंह (पत्नि भीखसिंह निवासी पावुजी देवली)
3. शोभाकंवर पुत्री केसरसिंह (पत्नि अमरसिंह निवासी फालना स्टे.)
4. भंवरकंवर पत्नि केसरसिंह
5. जबरसिंह पुत्र नैनसिंह
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीतसिंह
7. बलवन्तसिंह पुत्र रणजीतसिंह
8. स्व. अर्जुनसिंह पुत्र रणजीतसिंह के का.मु. श्रीमति मीठूकंवर पत्नि अर्जुनसिंह
9. महावीरसिंह पुत्र रणजीतसिंह
10. शंकरसिंह पुत्र रणजीतसिंह
11. मोहनकंवर पत्नि रणजीतसिंह
    तमाम जातिगण राजपूत, निवासी बाली
    तह. बाली
12. तहसीलदार बाली (भूमिधारी)

: निर्णय :
दिनांक : 27.06.2018

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 केम्प कोर्ट बाली मे पेश हुयी। प्रकरण मे लोक अदालत मे जारी नोटिस बाद तामिल कार्यवाही के प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादी जीवनसिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–05 जबरसिंह उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि वादी द्वारा जिस भूमि के विभाजन की मांग की जा रही हैं वह भूमि ग्राम बाली के राजस्व खसरा नंबर 1704 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 1705 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा व खसरा नंबर 1706 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. बाडा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतो का ही विभाजन किया जा सकता हैं। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में विहित विधि के प्रावधानो के अनुसार गै.मु. सडा, गै.मु. बेरा व व गै.मु. बाडा का विभाजन नहीं किया जा सकता हैं।

पेज लगातार---2

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 44/2016 अनवान जीवनसिंह बनाम लालसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे वादी द्वारा उक्त वाद के माध्यम से ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1704, 1705, 1706 के संबध में विभाजन कराने हेतु चाहा गया अनुतोष खारिज किया जाता हैं। गै.मु. बाडा व गै.मु. सडा की भूमि में प्रतिवादीगण वादी के 1/2 हिस्सा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, एवं खसरा नंबर 1704 गे.मु. बेरा पर लगी विद्युत मोटर के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। प्रतिवादीगण चाहे तो स्वयं के विद्युत कनेक्शन की मोटर से पानी ले सकते है। इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मजमा–ए--आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाली
दिनांक : 27.06.2018

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2018/ 54-55

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, बाली
2. पटवारी हल्का, बाली

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाली
केम्प–बाली

Scanned by CamScanner